**International Journal of Multidisciplinary Research and Development**
**Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: (RJIF 5.72)**
**www.allsubjectjournal.com**
**Volume 3; Issue 3; March 2016; Page No. 65-67**

# विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन

**[1]Jaybala Gupta, [2]BC Mahapatra**
[1]Research Scholar, JJT University, Rajasthan
[2]Professor in Department of Education, JJT University, Rajasthan, India

**प्रस्तावना**

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उपयोग मनुष्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में करता है। सृष्टि के प्रारंभ में जिस भी मनुष्य का इस धरा पर आगमन हुआ होगा, त्यों ही उसे इस बात की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा। उसने अपने चारों ओर के वातावरण से सांमजस्य स्थापित किया होगा, बस उसी समय से शिक्षा का प्रारंभ हो गया होगा, जब प्रथम मनुष्य इस संसार में आया तो उसे अपनी बुभुक्षा (भूख) और पिपासा शांत करने के लिए भोजन एवं जल की आवश्यकता प्रतीत हुई। वह इन सबको खोजने में त्रुटि एंव प्रयास करता रहा। अपने प्रयत्न में वह अपने बुद्धि का भी उपयोग करता रहा। यह सब कार्य शिक्षा के अंतर्गत रखे जा सकते है, अतः शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यन्त जरूरी है। शिक्षा जन शक्ति के प्रशिक्षण और जनमत को जागरूक बनाने का एक समर्थ साधन है, अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का बहुमुखी विकास संभव है। मानव परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। मानव के शरीर की तुलना में इसके मस्तिश्क और आत्मा में अधिक शक्ति है, क्योंकि वह स्वयं परमपिता परमात्मा का एक अंश हैं तथा जो अनादि और अनंत है।

यदि हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो मस्तिश्क हमारी आत्मा की शक्तियों द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आंकलन करें तो यह वो शक्ति है जो हाथी जैसे विशालकाय जीव को भी वश में कर सकती है, अतः यह सिद्ध है कि मस्तिष्क की शक्ति शरीर से कंही ज्यादा है, फिर किसी शारीरिक दुर्बलता या कमजोरी को हम अपनी कमजोरी क्यों मानें, इतिहास में ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों उदाहरण मिल जायेंगे। जहां मस्तिष्क ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है जैसे मध्यकालीन योद्धा तैमूर जो अपनी बायीं टांग से लंगड़ा था लेकिन जिसने दक्षिण पश्चिमी एशिया के कई बड़े शासकों को मात दे दी थी। महाकवि सूरदास, एकलव्य, अष्टावक्र आदि अनेक उदाहरण हमारी सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में मौजूद है, इन्होने ने अपनी मानसिक क्षमता से यह सिद्ध कर दिया कि वे सकलांगों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। दृष्टिहीन लुई ब्रेल जिसने आज दृष्टिहीनों को जीवन ज्योति दी। हेलन किलर की प्रतिभा का लोहा सारे विश्व ने माना है। गांधी जी ने इन्हें ही देखकर कहा था कि – ''शारीरिक दुर्बलता सच्ची दुर्बलता नहीं है। बल्कि मानसिक दुर्बलता ही सच्ची दुर्बलता है। विकलांग लोगों की आंतरिक शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि यह मानसिक एवं कार्यक्षमता की दृष्टि से एक साधारण मनुश्य से अधिक शक्तिशाली होते है, यदि इन्हें साधन उपलब्ध करा दिये जायें तथा समाज का सहयोग एवं सहायता मिल जाए तो ये समाज पर बोझ नहीं बल्कि सहयोगी सिद्ध होंगे।

एक समय था जब रोम व ग्रीक में विकलांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता था। इसका कारण था कि युद्ध करना उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय था और विकलांग व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थे। विकलांगता के प्रति इस प्रकार का उपयोगिता संबंधी दृष्टिकोण आगे भी समाज में व्याप्त रहा। भारत इस संबंध में अपवाद रहा। अशोक के राज्य काल में वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल हेतु एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। विकलांग बच्चों का पालन पोषण तो होता रहा लेकिन उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या काम करने के उपर्युक्त नहीं समझा गया।

फ्रांस की क्रांति के कारण सभी लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना तीव्र होती गई। फ्रांस की क्रांति के दो दशकों में फादर डी एलीपी द्वारा श्रवण बाधित व्यक्तियों हेतु हाथ की वर्णमाला का विकास किया गया, लगभग उसी समय जर्मनी द्वारा होंठ अध्ययन (Lipreading) का विकास हो रहा था। सन् 1784 में बेलन्टीनेलेन्ज (Veleutinellenge) ने पेरिस में दृष्टिहीनों के लिए विद्यालय की साथ ही अक्षमता (Impairment) व असमर्थता में भिन्नता बतलाई। अक्षमता (Impairment) मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक या शरीर के किसी अंग की क्षति है उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की दृष्टि 60 वर्ष में उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी वह 20 वर्ष का था, लेकिन अपनी उम्र व स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति से अपेक्षित कार्य करने में कोई रूकावट संभवतः नहीं होगी और अक्षमता उस समय तक होगी जब तक चश्मा लगाने से ठीक दिखाई देता है। अक्षमता सदैव अंग स्तर की होती है। विकलांगता अक्षमता के कारण व्यक्ति का कार्य या शिक्षा प्रभावित होनी है तो वह विकलांगता कहलाती है, अतएव असमर्थता के कारण अपनी आयु लिंग व सामाजिक भागीदारी के सापेक्ष एक या एक से अधिक क्रियाओं को न कर पाने में कठिनाई को विकलांगता कहते है। क्रो तथा क्रो 'वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखता है। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जायेगा।'' यह शारीरिक दोष कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। हकलाने वाला बालक, गूँगा बालक तथा वह बालक जिसे कम दिखाई देता है अथवा नेत्रहीन बालक – इन सभी में शारीरिक अक्षमता पाई जाती है। विकलांग शिक्षा सिंधु "शैक्षिक दृष्टि से विकलांग से अभिप्राय किसी भी प्रकार की रूगणता से नहीं है, और न ही विकार की उपचारात्मक प्रक्रिया से है। विकलांगता का अर्थ है सीखने में औसत बालक से अतिरिक्त ध्यान और सहायक उपकरणों की आवश्यकता एक प्रकार से विकलांग अवस्था का अर्थ उस असमान्य अवस्था से है, जो प्रभावित बालक को औसत बालक से अलग दर्शाती है।"

**विकलांगता के प्रकारः–** विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सात प्रकार की विकलांगता परिभाषित की गई है जो निम्न है :–

1. अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता (Locomotor Disability)
2. दृष्टिबाधिता या अंधत्व (Visual Handicap, Blindness)
3. अपर्याप्त दृष्टि (Low Vision)
4. श्रवणबाधिता (Hearing Impaired)
5. मति मंदता (Mental Retardations)
6. मानसिक रूगण्ता (Mental Illness)

7. कुष्ठरोग युक्त विकलांगता (Leprosy Cured Disability)
इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।

## एकीकृत शिक्षा एवं विशेष शिक्षा

एकीकृत शिक्षा का तात्पर्य विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के स्कूलों में साथ–साथ शिक्षित करना है ताकि वे सामान्य स्कूल के बच्चों की तरह विकसित हो सके। एकीकृत शिक्षा सहयोगी शिक्षा है जो अपंग बच्चों को सामान्य स्कूल सेट अप के साथ शिक्षा के लोक व्यापीकरण के उद्देष्य को पूरा करने की दृष्टि से दी जाती है। भारत में विकलांगता के क्षेत्र में सर्वप्रथम दृष्टिबाधित पर ध्यान दिया गया। ब्रिटिश शासन ने सन् 1942 में अन्धत्व के कारण, निवारण व कल्याण हेतु एक समिति का गठन किया। इस समीति ने शिक्षा मंत्रालय में अन्धत्व पर एक ईकाई को स्थापित करने की सिफारिश भी की। यह ईकाई सन् 1947 में बनाई गई और कुछ समय बाद ही अन्य प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम से इसे जोड़ा गया। उस समय शासन ने चार प्रकार की विकलांगता पर ही विचार किया 1. दृष्टिबाधिता 2. श्रवणबाधिता 3. मानसिक पिछड़ापन 4. गत्यात्मक असमर्थता। अधिगम विकलांगता को औपचारिक रूप से विकलांगता के लिए मान्यता नहीं मिली।
विशेष शिक्षा के समर्थकों का पक्का विश्वास रहा है कि विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे की शिक्षा साथ–साथ नहीं हो सकती। अतः उन्नीसवीं सदी के अंत तक विशेष विद्यालयों की परम्परा चालू रही। बीसवी सदी के प्रारंभ में अमेरीका में समेकित शिक्षा पर प्रयोग प्रारंभ हुए। ब्रिटेन में 10–15 वर्ष बाद इस पर कार्य आरंभ हुआ, हालांकि बीसवीं सदी के बाद के समय में युनाइटेड किंगडम द्वारा विशेष विद्यालयों के लिए समर्थन जारी रहा। बीसवीं सदी के अंतिम 2–3 दशकों में विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ। सालामान्सा स्पेन में सन् 1994 में युनेस्को द्वारा प्रायोजित सम्मेलन में सभी राष्ट्रों से केवल समावेशित शिक्षा (Inclusive Education) की व्यवस्था की जाने की जोरदार सिफारिश की। इस विषय पर अभी भी विवाद है। कुछ विशेषज्ञ अभी भी यह मानते है कि गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालयों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि मध्यम (Moderate) रूप से विकलांग बच्चों को भी शिक्षण पाठ्यक्रम क्रियाओं के पूरे करने के लिए नियमित कक्षा से अलग ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ विशेषज्ञ समावेशित शिक्षा को एक प्रशासकीय अर्थ में व्याख्या करते है उनका कहना है कि सभी विकलांग बच्चों को नियमित शिक्षा में लाना ही समावेशित शिक्षा है। अमेरीका में शिक्षा संबंधी कानून में उल्लेखित है कि सभी अक्षम बच्चों को कम से कम प्रतिरोधक (Barrier Free) वातावरण में रखा जाना चाहिए। भारत में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, पूर्ण भागीदारी तथा अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1995 में भी यह कहा गया है कि विकलांग बच्चों को सर्वदा उचित वातावरण में रखा जाना चाहिए।
इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि यदि हम किसी विकलांगता से मुक्त बच्चों को किसी अन्य उपयुक्त वातावरण में रखते है तो उसे विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए जाना चाहिए। यह कार्य अब देश में शुरू हो गया है उदाहरण के लिए सन् 1947 से विशेष विद्यालयों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है।

## समावेषित शिक्षा

एक ऐसी रणनीति है जो समावेषित समाज की रचना के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, इसमें वे सभी बच्चे व प्रौढ़ अपना योगदान दें चाहें उनकी कोई भी उम्र हो, कोई भी लिंग हो, कोई क्षमता या विकलांगत या कोई जाति या संप्रदाय हो, समावेषित शिक्षा में बच्चे साथ–साथ रहकर सीखते हैं, आवश्यक नहीं कि वे एक ही बात सीख रहे हो, समावेषित शिक्षा सभी बच्चों में अन्तर मूल्य व सम्मान की पहचान करती है। सभी बच्चे सीखने में कभी–कभी कठिनाई का अनुभव करते हैं अतः उनकी सीखने की इस कठिनाई में सहयोग की आवश्यकता होती है।
समावेषित शिक्षा में विकलांगता वाले बच्चों को आने को प्रोत्साहित ही नहीं करती बल्कि उसमें समुदाय या समाज के अन्दर अनेक परिवर्तन व रणनीति का समावेष भी करती है। जिससे सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल सके और इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति को उसी समाज के साथ रहने हेतु तैयार करती है तथा उनकी पूरी शक्ति का विकास करती है।

## विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना

प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में विकलांगों की लगभग संख्या 1 करोड़, 20 लाख है। जिनमें से 0–4 आयु वर्ग के 14 लाख, 4–15 आयु वर्ग के 43 लाख बच्चें है। वर्तमान में आठ सौ से 1 हजार विशेष विद्यालयों में इन बच्चों का पांच प्रतिशत शिक्षा पाते हैं। संख्यात्मक दृष्टि के अतिरिक्त इन बच्चों की शिक्षा का गुणात्मक पहलू में भी सुधार की आवश्यकता है।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान

विकलांगों की शिक्षा का उद्देष्य शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सामान्य समुदाय के साथ समान सहभागी के रूप में समन्वय करके उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना तथा उनमें जीवन के उत्साह एवं विश्वास के साथ जीने की क्षमता उत्पन्न होना चाहिए। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये जाएंगे :–
समता की दृष्टि से 'विकलांग–शिक्षा' का एक अन्य पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस विषय पर नीतिगत प्रस्ताव इस प्रकार है –
''शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देष्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चले सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिएँ।''(अनु.4.9).
इनकी शिक्षा की योजना को दो रूपों से देखने की कोशिश की गई है –
वे विकलांग जो सामान्यत विद्यालयों में शिक्षा ले सकते हैं।
वे विकलांग जिनके लिए विशेष प्रकार के विद्यालय चाहिए।

## समेकित शिक्षा का अर्थ

समेकित किये जाने का अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके सामान्य साथियों के साथ नियमित शाला में ही आवश्यक सहयोग देकर अध्ययन करने की सुविधा देना। यह प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को नियमित शाला में पूरा करने का प्रयत्न है। विकलांगता के बावजूद प्रत्येक बच्चा शाला की सभी गतिविधियों में भाग लेता है। इस प्रकार समेकित मॉडल में सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही शिक्षा की मुख्य धारा में बनाए रखने का प्रयास है और इससे बढ़कर समुदाय, पालक शिक्षक, गैर विकलांग साथी तथा विशेष बच्चे सभी को इन बच्चों की आवश्यकता, अवसर एवं जिम्मेदारी का एहसास होता है।

## समेकित शिक्षा के लक्ष्य और उद्देष्य

समेंकित किये जाने का लक्ष्य है सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक अवसर उपलब्ध करना, तथा ऐसे विकलांग बच्चे, जिन्हें विशेष स्कूलो मे रखा जाता है तथा जब

वे एक बार कार्यसाधक संप्रेषण और रहन–सहन के कौशल प्राप्त कर ले तब उन्हें सामान्य स्कूलों में समेकित करना।

## सन्दर्भ सूची


1. अहमानन स्टेनली जे. (1962) टेस्टिंग स्टूडेन्ट अचिवमेंट एंड एप्टीट्यूडस प्रिन्टस हॉल ऑफ इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड : नई दिल्ली
2. ओझा, संध्या – ऐन्गूजाइअटि एंड मेंटल ऑफ हैंडी कैण्ड, 'प्राची जरनल साइकोकल्चर डायमेन्शन्स पी.पी.सी. आर.ए. मेरठ, Vol. 18 No.-1, अप्रेल 2002 पृ.–27
3. अरोरा समृद्धि, अन्दराबी मार्या, शर्मानीरू (2004) ''साइकोसोशल प्रोफाइल ऑफ विजुवली इम्पेयर्ड एडोलसेन्स'' साइकोलिंग्वा Vol. 34 No.-2 श्रनसल 2004. पेज नं–101.
4. गर्ग, सरिता (2005)''सामान्य विकलांग विद्यार्थियों की समेकित शिक्षा के प्रति अभिकृति भारतीय आधुनिक शिक्षा : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।
5. सरीन एवं सरीन (2007) शैक्षिक अनुसंधान एवं विधियाँ अग्रवाल पब्लिकेशन : आगरा
6. क्लार्बे एन.एम. और क्लार्बे ए.डी.बी. (1958) ''मेन्टल डिफेसिअंसी द चेन्जिंग आउट लुक'' मिथेन एंड कोऑपरेटिव लिमिटेडन्यू फेटरलेन : लंदन
7. कपिल एच.के. (2004) '' अनुसंधान विधियाँ व्यवहार पाक विज्ञानों में एच.पी.भार्गव बुक हाउस : आगरा
8. गैरेट ई.हैनरी : (1966) ''शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग कल्याणी पब्लिशर्स : लुधियाना
9. चॉद किरण : (2005) 'शिक्षा समाज और विकास' कनिष्क पब्लिशर्स (1979) डिस्ट्रीब्यूटर्स : नई दिल्ली
10. चर्चिल लिविंगस्टोन, (1979) एडिनबर्ग लंदन और न्यूयार्क
11. चटर्जी बी.आर. (1988) 'अ विंडो ऑन लेप्रोसी, ''गाँधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउन्डेशन : वधी
12. भार्गव महेश, प्रसाद द्वारका सिह लाभ (2006) मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी के मूल आधार एच.पी.भार्गव बुक हाउस : आगरा
13. भार्गव महेश (2003), '' एक्सेप्शनल चिन्ड्रन एच.पी.भार्गव बुक हाउस : आगरा
14. भार्गव महेश (2003), '' विशिष्ट बालक उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास वेदान्त पब्लिकेशन : लखनऊ
15. भार्गव महेश, गोयल सुशील : (2003) 'मूक एंव श्रवण बाधित बच्चों का भाशायी विकास'' साइकोलिंग्वा जनवरी 2003, साइकोलिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ आगरा।
16. भार्गव महेश, (2003) : विशिष्ट बालक उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास ''वेदान्त पब्लिकेशन : लखनऊ
17. भार्गव महेश, राना रीता, (2003) : मानसिक विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं योजना, इण्डियन जरनल ऑफ साइकोमेट्री एण्ड एव्यू साइकोमेट्री एण्ड एज्यूकेशनल रिसर्च एसोसिएशन ।
18. मिश्रा राय भूषण (2003)
19. भटनागर सुरेश (1989) 'शिक्षा मनोविज्ञान'' लॉयल बुक डिपो, मेरठ भार्गव महेश : (2003) 'विशिष्ट बालक एच.पी.भार्गव बुकहाउस आगरा
20. नरूला संजय (2007) '' रिसर्च मेथडलॉजी '' मुरारी लाल एंड संस : नई दिल्ली
21. मिश्रा शरद चन्द्र (2006) विकलांग और खेल, ''स्पोर्ट्स पब्लिकेशन : नई दिल्ली
22. शर्मा एस.एन. भार्गव विवके, (2004)'' मनोविज्ञान एवं शिक्षा में प्रयोग परीक्षण'' एच.पी.भार्गव बुक हाउस : आगरा
23. शर्मा, आर.ए. (2006) ' शिक्षा अनुसंधान आर.लाल बुकडिपो मेरठ शर्मा, आर.ए. (2005) ''पाठ्यक्रम शिक्षण कला मूल्यांकन'' आर. लाल बुकडिपो : मेरठ
24. शर्मा गंगाराम, भार्गव विवेक, शर्मा मुकेश (2004) ''अधिगमकत्ती का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया'' एच. पी.भार्गव बुकहाउस : आगरा
25. स्टीफन्स, जे.एम., शिक्षा मनोविज्ञान, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, 1990
26. शर्मा बी.के., कुमार ''आइडेटिफिकेशन ऑफ विजुअल परसेप्बुउल डिसएबेलि टीस इन चिन्ड्रन एट् प्राइमरी स्टेज,'' दो प्राइनरी टीचर, NCERT, VOL. No-2 अप्रैल–2003, पृ.–63.
27. सोनी, आर.बी.एल, ''डिस्एबल्ड स्टूडेन्टस परसेप्सन्स एबाउट देयर एजूकेशन'' जरनल ऑफ एजूकेशन, NCERT, VOL – XX IX, No. - 2 फरवरी–2004, पृ. 77.
28. वशिष्ठ, के.सी., ''मलिकशशि एवं दीपिका, एन इनवेस्टीगेशन इनटू विहेवीयरल डायमेन्शंस ऑफ एजूकेवल मेन्टेलिटी रिटार्यड चिल्ड्रन,'' साइकोलिंग्वा, नेशनल साइकोलोजीकल कारपोरेशन आगरा, VOL. 34(1), जनवरी, 2004.
29. ओझा, संध्या, ''ऐन्गूजाइॲटि एण्ड मेनटल हेल्थ ऑफ हैंडी कैप्ड, प्राची जनरल ऑफ साइको कल्चरल डायमेन्सन्स, पी.पी. सी. आर.ए., मेरठ VOL. 18, No.1, अप्रैल, 2002, पृ. 27
30. Clarbe. Ann M & Clarbe. A.D.B. "Mantal Deficieney the changeing autlook." Methaen & Co. Ltd. New fetter lane Landon 1958 पृ.
31. आरूषि निशक्तजनों हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी आधार, राज्य शिक्षा केन्द्र, मेरठ.
32. अहमानन स्टेनली जे. (1962) टेस्टिंग स्टूडेन्ट अचिवमेंन्टस एंड एप्टीट्यूडस : प्रिन्टस हॉल ऑफ इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड : नई दिल्ली
33. त्यागी, डॉ. राजेष्वर – (1004) सायकोलॉजी सेल्फटिव्यू : कॉसमॉस बुक लाइव लिमिटेड : नई दिल्ली
34. सक्सेना एन.आर. स्वरूप (2004) ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक'' आर.लाल बुक डिपो : मेरठ पृ.सं. 730–736.